



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/34/2016/एफ0सी0/50

दिनांक : 28/4/16

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ओ0डी0आर0 नं0-20) किमी0 3.135 की बांयी पटरी पर ग्राम- पहाड़ी के गाटा संख्या- 140 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-49/14-2-2016-800(49)/2016, दिनांक- 01.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. As per the details provided at A1 (ix), the information regarding requirement of non forest land which is mentioned as zero is incorrect.
2. The .kml file of the proposed forest land for diversion is not in order (online version). The .kml file has also not been submitted in CD form for GIS DSS analysis.
3. The SOI top sheet uploaded is without title and index.
4. The map of proposed forest land diversion (online) does not match with layout plan provided with the proposal.
5. The user agency has not provided undertaking for abiding with conditions imposed by SPWD.
6. Most of the undertakings/certificates have not been certified by the concerned DCF/DFO.
7. The proposal is without submission of calculation for NPV levies.
8. At several places seal of concerned officials have not been affixed.
9. The compensatory afforestation scheme has been taken on equivalent forest land i.e. 0.05 ha (RF) which is incorrect (as mentioned in part II Sr no. 13).

28/4/16

10. The .kml file of proposed compensatory afforestation (online) shows existing vegetation which needs re-verification or alteration of site. The .kml file for proposed CA needs submission in CD for GIS DSS analysis.
11. The online uploaded location map on topo sheet is without signature.
12. The site suitability certificate for compensatory afforestation is not as per approved format.
13. The certificate regarding FRA 2006 has not been uploaded in online version.
14. Site inspection report of DCF is incomplete.
15. CF has inspected the site but inspection note is not available with the proposal.

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें। प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

संलग्नक— मूल प्रस्ताव

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर, उ० प्र०।
4. डिप्टीजनरल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ० प्र०।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

  
(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]